DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): No Rule 255, Sir. *...(Interruptions)...* No Rule 255, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please, please. *...(Interruptions)...* Hon. Members Shri Y.S. Chowdary and Shri C.M. Ramesh, I request you to go back to your seats. *...(Interruptions)...* I request you to go back to your seats. I will be forced to invoke Rule 255. *...(Interruptions)...* Please go back to your seats. *...(Interruptions)...*

DR. V. MAITREYAN: No Rule 255, Sir. *...(Interruptions)...* No Rule 255, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Rule 255 regarding withdrawal of Members reads as follows: *...(Interruptions)...*

DR. V. MAITREYAN: No Rule 255, Sir. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, how do you run the House? *...(Interruptions)...* You listen to me. *...(Interruptions)...* According to Rule 255, the Chairman may direct any Member whose conduct is in his opinion grossly disorderly to withdraw immediately from the Council and any Member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's meeting. This is Rule 255 which I am going to invoke. If you do not go back, I will invoke it. *...(Interruptions)....* Are you going back? *...(Interruptions)....* Therefore, your conduct in the House has been grossly disorderly. Under Rule 255 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, I order Shri Y. S. Chowdary and Shri C.M. Ramesh to withdraw immediately from the House. I direct you to withdraw immediately from the House under Rule 255. Please withdraw from the House, please vacate. *...(Interruptions)...* I have invoked Rule 255. *...(Interruptions)...* The House is adjourned for 15 minutes.

The House then adjourned at eleven minutes past twelve of the clock.

The House re-assembled at twenty-six minutes past twelve of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the matters raised with the permission of the Chair. Dr. Bhalchandra Mungekar – not present. Shri Narendra Kumar Kashyap.

Serious situation of floods in Punjab due to heavy rains and over-flowing rivers originating from Pakistan

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैंने पंजाब में आई बाढ़ के विषय को इसलिए शून्य काल में उठाने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे देश में प्रत्येक साल देश की आबादी के एक-चौथाई लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। उत्तराखंड की तबाही अभी समाप्त भी नहीं हुई, हजारों लोग मरे, करोड़ों लोगों की फसल, मकान सब बह गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, बंगाल, मध्य प्रदेश में भी बाढ़ का प्रकोप है। लेकिन पंजाब के हालात आज बाढ़ के प्रभाव से बेहद खराब नजर आते हैं। महोदय, पंजाब के 5 जिले, आज पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और ये 5 जिले वे हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हैं जिनमें अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का और भटिंडा शामिल हैं। इसके अलावा गुरुदासपुर और पठानकोट भी शामिल हैं। लगातार बाढ़ का प्रकोप बढ़ रहा है, 200 गांवों से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बीमारी बड़े पैमाने पर फैली है, किसानों की फसल डूब गई है, पशुओं का चारा भी खत्म हो गया है और पंजाब के अंदर अभी तक केन्द्र या सूबे की सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं की गई, जिसके आधार पर बाढ़ से प्रभावित लोगों के जीवन की रक्षा के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाए। उपसभापति महोदय, मैंने व्यक्तिगत तौर से कई जिलों का दौरा किया, लोगों से मिला और लोगों की नम आंखों को देखा। उनकी आंखों में एक आशा है पंजाब की सरकार से, देश की सरकार से कि कोई आए और उनको बचाए, उनके लिए कोई राहत का पैकेज दे, उनकी फसलों का कोई मुआवजा दिया जाए। लेकिन ऐसा कोई कदम अभी तक नहीं उठा। मैं आपके माध्यम से केन्द्र की सरकार से यह मांग करता हूं कि इस बाढ़ के गंभीर मुद्दे पर सरकार गंभीरता के साथ फैसला लेकर पंजाब में आई बाढ़ की तबाही का एनालिसिस करके पंजाब के किसानों को, मजदूरों को राहत देने पर विचार करे और जिनका नुकसान हुआ है, उनको उसकी भरपाई करे। धन्यवाद।

DR. M.S. GILL (Punjab): Sir, I associate myself with what the hon. Member, Shri Narendra Kumar Kashyap, has said.

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

†**چودھری منوّر سلیم (اتر پردیش):** مہودے، میں بھی اس سے اپنے آپ کو سمبدّھ کرتا ہوں۔

†Transliteration in Urdu Script.

श्री अहमद सईद मलीहाबादी (पश्चिमी बंगाल): सर, मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

†**جناب احمد سعید ملیح آبادی (مغربی بنگال):** مہودے، میں بھی اس کا سمرتھن کرتا ہوں۔

श्री मोहम्मद शफ़ी (जम्मू और कश्मीर): महोदय, मैं भी एसोसिएट करता हूं।

†**جناب محمد شفیع (جموں و کشمیر):** مہودے، میں بھی ایسوسی-ایٹ کرتا ہوں۔

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with what the hon. Member, Shri Narendra Kumar Kashyap, has said.

Rape and murder of a dalit student in Jind District of Haryana

श्री रणवीर सिंह प्रजापति (हरियाणा): सर, हरियाणा के जींद जिले में सफीदों विधान सभा क्षेत्र के बनियाखेड़ा गांव की एक जेबीटी की छात्रा परीक्षा देने के लिए जींद सीनियर स्कूल में गयी थी, उसे वहां से किडनैप कर, बलात्कार कर के उसकी हत्या कर दी गयी और उसका शव हांसी ब्रांच नहर जींद पर फेंक दिया गया। जब वह लड़की घर नहीं पहुंची, तो उसके घर वालों ने तलाश शुरू की और परसों जब वे उसे ढूंढ रहे थे तो नहर के ऊपर उसका शव मिला। जब घर वाले और गांव वाले उसका शव लेकर पुलिस के पास गए और मांग की कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, तो वहां उन्हें कार्यवाही का आश्वासन दिलाने के बजाय दौड़ा-दौड़ाकर पुलिस ने उन्हें पीटा। ...**(व्यवधान)**... सर, पुलिस कारस्तानी की हद तब हो गयी, जब दलित समुदाय की उस लड़की के पिता सूरत सिंह, जोकि शव लेकर धरने पर बैठे थे, पुलिस ने उसे भी लात-घूंसों से मारा। ...**(व्यवधान)**...।

सर, आज हरियाणा प्रदेश में ये हालात हैं और प्रदेश में कानून-व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। पिछले दिनों लगातार दलित, कमजोर वर्ग व ओबीसी के लोगों पर इस तरह के अत्याचार बढ़ रहे हैं। ऐसी बलात्कार व अत्याचार की घटनाएं वहां ज्यादातर दलित व कमजोर वर्ग के लोगों पर लगातार हो रही हैं। इस बात का सबूत यह है कि पिछले दिनों जब कैथल के पबनामा गांव के अंदर एससीएसटी आयोग ने दौरा किया, तब उन्होंने कहा कि दलितों के लिए हिंदुस्तान के अंदर सब से असुरक्षित जगह हरियाणा प्रदेश है। इस से ज्यादा हरियाणा सरकार के लिए शर्म की बात और क्या होगी।

महोदय, मैं आपको व सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले दिनों जब वहां अनेक बलात्कार की घटनाएं हुईं, तब भी एससीएसटी आयोग वहां गया था और यह कहा था कि हरियाणा प्रदेश "रेप का प्रदेश" बनकर रह गया है। इस तरह की कानून, व्यवस्था की हालत आज हरियाणा प्रदेश की है।

---

†Transliteration in Urdu Script.